प्रथम अपीलीय अधिकारी (जिला कलेक्टर) जालोर

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
श्री यशोवर्धन शर्मा पुत्र श्री भवानी शंकरजी शर्मा, खागल मौहल्ला, वार्ड संख्या 04 बाडमेर		लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार बागोडा
प्रकरण अपील		44 /2017
कम्प्यूटर आई.डी		2017/ 00093

अपील अर्न्तगत धारा 19(1)सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

08.11.2017	अपीलांट व राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुपस्थित।राज्य लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार बागोडा) का जवाब ई मेल से प्राप्त हुआ राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा जवाब में व्यक्त किया गया कि अपीलांट द्वारा आवेदित सूचना अपीलांट को जरिए पत्रांक/28 दिनांक 07.11.2017 के द्वारा प्रेषित कर दी गई है। अपीलार्थी को पूर्ण सूचना दी जा चुकी है तथा कोई सूचना देना शेष नही है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा अपील में सूचना के अधिकार अधिनियम के अर्न्तगत पोस्टल आर्डर संख्या 40 एफ 797071 के संलग्न आवेदन पत्र द्वारा सूचना चाही गई। राज्य लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) बागोडा ने आवेदित सूचना अपीलांट को जरिए पत्रांक/स्था/2017/ 28 दिनांक 07.11.2017 के द्वारा भिजवायी जाना अवगत करवाया है। आवेदित सूचना अपीलांट को उपलब्ध करवाई जा चुकी है। इस प्रकार सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी होने से प्रकरण में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है। अत: अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। अपीलांट को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि वह इस निर्णय से असंतुष्ट है तो इस आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग जयपुर के समक्ष की जा सकती है। (बी.एल.कोठारी) प्रथम अपीलीय अधिकारी (जिला कलेक्टर) जालोर